सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं. : 2025/22 दर्ज दिनांक : 02.05.2025

1. धर्मपाल पुत्र रामेश्वरलाल निवासी गिनड़ी पट्टा राजपुरा तहसील व जिला चूरू (राज.)

–प्रार्थी–

बनाम

1. सोहनलाल पुत्र रामेश्वरलाल निवासी गिनड़ी पट्टा राजपुरा तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू

–अप्रार्थीगण–

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री सुरेन्द्र बुडानिया
अप्रार्थीः– श्री रमेश राहड़

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–251 ए
राजस्थान काश्तकारी अधि.–1955

–:निर्णयः–

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी की कृषि भूमि रोही मौजा ग्राम गिनड़ी पट्टा राजपुरा तहसील व जिला चूरू में स्थित है। प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा संख्या 507/74/3.5473 हैक्ट. है। प्रार्थी के खसरा की भूमि में जाने के लिए कोई कटानी रास्ता नहीं है, ना ही प्रचलित रास्ता है, जिसमें से होकर प्रार्थी अपने उपरोक्त खसरा की कृषि भूमि में आवागमन कर सके। प्रार्थी के खसरा संख्या 507/74 की कृषि भूमि के निकटतम कटानी रास्ता खसरा संख्या 88 गुजरता है व कटानी रास्ता खसरा नंबर 88 तक पहुंचने के लिए खसरा संख्या 506/74 अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि में से होकर जाना पड़ता है खसरा संख्या 88, खसरा संख्या 506/74 में गुजरता है। अप्रार्थी संख्या 1 के खसरा भूमि 506/74 में से होकर प्रार्थी अपनी कृषि भूमि खसरा संख्या 507/74 में आवागमन किया जा सकता है व रास्ता दिया [illegible] निकटतम लगता है।
2. प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से अपनी कृषि [illegible] आवागमन बाबत रास्ता कटवाये जाने का निवेदन किया, जिसका न[illegible] सामाजिक स्तर पर मिल बैठकर रास्ता दिये जाने का कह[illegible] को कहा, परन्तु काफी समय

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:49 IST
Reason: SelfAttested

निकल गया, फिर भी रास्ता नहीं दिया व अन्त में दिनांक 26.04.2025 रास्ता देने से अप्रार्थी संख्या 1 ने इन्कार कर दिया।

3. प्रार्थी की उपरोक्त खसरा की कृषि भूमि को ना तो कटानी रास्ता लगता है, ना ही प्रचलित कोई रास्ता है, जिससे होकर प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आवागमन कर सके व ना ही अपनी भूमि को काश्त कर सकता है व ना ही किसी अन्य तरीके से उपयोग में ले सकता है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि जाने के लिए कोई रास्ता ना होने के कारण काफी असुविधा हो रही है व काश्त के समय, समय पर प्रार्थी अपना खेत काश्त नहीं कर पाता है व रास्ता ना होने के कारण पड़ौसियों से भी वाद–विवाद होने का अंदेशा बना रहता है। रास्ता कटवाने के लिए विधि अनुसार जो भी शर्ते होगी उनका पालन करने के प्रार्थी तैयार व तत्पर है। न्यायालय द्वारा भी आदेश प्रार्थी को इस संदर्भ में दिया जाता है, उसकी पालना के लिए प्रार्थी हर समय तैयार है। रास्ते की लम्बाई 215 फिट है व चौड़ार्ठ 16 फीट है इस अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में काटा जाना आवश्यक है।

4. श्रीमान द्वारा आदेश दिये पर उसकी पालना तहसीलदार चूरू द्वारा की जानी है। इसलिए तहसीलदार चूरू को पक्षकार बनाये जाने से पूर्व धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिया आवश्यक है।

5. अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा दिनांक 26.04.2025 को रास्ता दिये जाने से इन्कार किये जाने से प्रार्थी को वाद हैतुक प्राप्त है, इस कारण प्रार्थी को न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र पेश करना पड़ रहा है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र ग्राम गिनड़ी पट्टा राजपुरा तहसील व जिला चूरू को रोही के खसरा की भूमि में रास्ता कटवाने का प्रस्तुत करने से न्यायालय को श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न एनेक्जर ए के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 के खसरा संख्या 506 / 74 रोही मोजा गिनड़ी पट्टा राजपुरा तहसील व जिला चूरू के राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता काटे जाने का आदेश प्रदान करें।

6. प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया अप्रार्थी सं. 01 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र राहड़ ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 02 भूमिधारी हैं। तहसीलदार चूरू से जांच रिपार्ट मंगवाई गई जो निम्नानुसार है–

   1. धर्मपाल पुत्र रामेश्वरलाल की व मोहनलाल पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी गिनड़ी पट्टा राजपुरा की उपस्थिति में रोही ग्राम गिनड़ी पट्टा राजपुरा के खसरा नम्बर 507 / 74 व आवागमन हेतु खसरा संख्या 506 / 74, 88 का मौका निरीक्षण किया जाकर वादी व प्रतिवादी के बयान लिये व फर्द मौका तैयार कर हस्ताक्षर करवाये गये।
   2. सोहनलाल पुत्र रामेश्वर लाल की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 506 / 74 तादादी 1.5081 हैक्ट. में गै.मु.रास्ता (मौके पर डामर सड़क) खसरा नम्बर 88 से रास्ता पूर्व पश्चिम बीच से गुजरता है, जो मौके पर चालू है। राजस्व रिकॉर्ड में कटानी रास्ता दर्ज नहीं है। दोनों खसरों की सींव में तारबन्दी की हुई है।
   3. खसरा संख्या 88 से 507 / 74 में आ[illegible] लिए खसरा नम्बर 506 / 74 में रास्ते के निशानात नहीं है। प्र[illegible] मौके पर चालू रास्ते में पश्चिम सींव के चिपते रास्ता दिया ग[illegible] 507 / 74 के खातेदार धर्मपाल द्वारा रास्ते हेतु उपयोग नहीं किया गया, जो [illegible]मान में बन्द है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:49 IST
Reason: SelfAttested

4. धर्मपाल पुत्र रामेश्वरलाल द्वारा खसरा संख्या 88 (गै.मु.रास्ता) से खसरा संख्या 504/74 के पूर्वी सींव के चिपते अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 507/74 में आवागमन हेतु रास्ते की मांग की गई जो सुविधाजनक है। पश्चिम दिशा में आवागमन का रास्ता नहीं होना बताया।
5. ग्राम गिनड़ी पट्टा राजपुरा के विभाजन नामन्तरकरण संख्या 608 दिनांक 10.12.2021 में आपसी सहमति से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53(2) बंटवारे में संलग्न नक्शे में रास्ते दर्शाया गया है, जिनमें खसरा संख्या 507/74 में आवागमन हेतु खसरा संख्या 88 से खसरा संख्या 506/74 के पूर्वी सींव से चिपते है।
6. खसरा संख्या 506/74 व 507/74 में दोनों खातेदार एकल खातेदार है। वादी द्वारा प्रस्तुत रास्ता व विभाजन आदेश के संलग्न नजरी नक्शा में पूर्वी सींव के चिपते दर्शाया रास्ता किसी कटानी रास्ते से निकटतम दूरी पर है। उपरोक्त प्रस्तावित रास्ते में वर्तमान में किसी प्रकार का निर्माण नहीं है। प्रतिवादी सोहनराम के अनुसार इस नये रास्ते की कायमी हेतु एवज में भूमि उपलब्ध करवाई जाये, नकद राशि नहीं। खसरा संख्या 506/74 में पूर्वी सींव की लम्बाई 235 फीट है।
7. खसरा संख्या 88 (गै.मु.रास्ता) से 507/74 में आवागमन हेतु 506/74 के पूर्वी सींव के चिपते भूमि जिसकी लम्बाई 235 फीट है व रास्ते में तीन (खेजड़ी) है व कटानी रास्ते से निकटतम दूरी है तथा सहमति बंटवारे में संलग्न नक्शे में खातेदार के हस्ताक्षर है। इस प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई के विषय में वादी धर्मपाल के अनुसार अधिकतम चौड़ाई का रास्ता कायम किया जाये। एवज में भूमि या डी.एल.सी. दरों के अन्तर्गत राशि न्यायालय के निर्णय सहमत रहूंगा।

7. अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा तहसीलदार चूरू से प्राप्त रिपोर्ट पर आपत्ति प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया जिसको न्यायालय द्वारा अवलोकन उपरान्त खारिज किया गया। अप्रार्थी सोहनलाल की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रार्थी की कृषि भूमि ख.न. व तादादी बाबत अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी ने यह तथ्य गलत लिखा है कि कि कटाणी रास्ते से अपने खेत में जाने के लिए प्रचलित रास्ता नहीं है प्रार्थी ने कटाणी रास्ता ख.नं. 88 बताया है जबकि मौके पर ख.नं.88 पक्की डामर की मैन सड़क है जो सड़क दूधवाखारा से ढाणी रणवां लालासर व गिनड़ी पट्टा राजपुरा इन्द्रपुरा होते हुए चूरू से तारानगर हाईवे पर मिलती है। प्रार्थी ने यह भी गलत लिखा है कि मेरे खेत ख.नं. 507/74 में जाने के लिये कोई रास्ता नहीं है जबकि सही हकीकत यह है कि ख.नं. 88 जहां मौके पर पक्की सड़क है जो अप्रार्थी के खेत ख.नं. 506/74 व ख.नं. 95 के बीच से गुजरती है। अप्रार्थी अपने खेत ख.नं. 506/74 के बीचों बीच प्रचलित रास्ता से प्रार्थी व परिवार के अन्य सदस्य ख.नं. 474/74, 473/74, 472/74 प्रचलित रास्ता से आवागमन करते है उसी रास्ता से फंट कर प्रार्थी धर्मपाल अप्रार्थी की पश्चिमी सींव सींव अपने खेत में प्रवेश करता है लेकिन सही हकीकत यह है कि अप्रार्थी सोहनलाल के खेत ख.नं. 506/74 व ख.नं. 95 के बीचों बीच पक्की डामर की मैन सड़क गुजरती है और अप्रार्थी सोहनलाल की कृषि भूमि आबादी के नजदीक है इस कारण प्रार्थी धर्मपाल अपने खेत को सड़क से जोड़ कर अ[illegible] काटना चाहता है ताकि ऊंचे दामों बिक सके प्रार्थी धर्मपाल चूरू हाऊसिंग बो[illegible] करता है जो जमीन खरीदने व बेचने का काम करता है इसी मक[illegible]ती जमीन में से चौड़ा रास्ता लेकर प्रार्थी अपनी जमीन [illegible] धर्मपाल ने अप्रार्थी सोहनलाल की कृषि भूमि में से सड़क गुजरने का तथ्य भी छिपाया [illegible] ताकि बदले में अधिक कृषि भूमि न देनी पड़े।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:49 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 2 में लिखे तमाम तथ्य काल्पनिक लिखे हुये होने के कारण अस्वीकार किये जाते हैं। प्रार्थना–पत्र की मद सं.3 में दर्ज तमाम तथ्य गलत व काल्पनिक लिखे हुवे होने से अस्वीकार है प्रार्थी धर्मपाल ने काल्पनिक प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 215 फुट गलत अंकित की है जबकि अप्रार्थी सोहनलाल के खेत में गुजरने वाली सड़क के प्रार्थी धर्मपाल के खेत की लम्बाई 251 फीट है। प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 4 कानूनी होने के कारण जवाब की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना–पत्र की मद सं. 5 में प्रार्थी ने इन्कारी दिनांक 26.04.2025 काल्पनिक लिखी है जबकि प्रार्थी व अप्रार्थी सोहनलाल आपस में बोलचाल तक नहीं मात्र है वाद हेतुक प्राप्त करने के लिए गलत इन्कारी तारीख लिखी है ना ही प्रार्थी धर्मपाल ने अप्रार्थी सोहनलाल से कभी रास्ते की मांग की। अप्रार्थी सोहनलाल की सड़क बेश कीमती कृषि भूमि में से रास्ता कटवा कर प्रार्थी अपनी कृषि भूमि सड़क व आबादी में जोड़कर अपनी कृषि भूमि में आवासी कॉलोनी काट कर महंगे दामों में बेचना चाहता है तथा अप्रार्थी सोहनलाल को भूमिही करना चाहता है अप्रार्थी सोहनलाल ने प्रार्थी को प्रचलित रास्ते से आने जाने से कभी नहीं रोका प्रचलित रास्ते से ही प्रार्थी ने इस बार खेती की है प्रार्थी अपनी बिना रोड़ की भूमि बदले में देकर अप्रार्थी सोहनलाल की सड़क की भूमि हड़पना चाहता है। विशेष कथन : अप्रार्थी सोहनलाल के खेत ख.नं. 506/74 तादादी 1.5081 हैक्ट. व ख.नं. 95 तादादी 0.2655 हैक्ट. रोही मौजा गिनड़ी पट्टा राजपुरा तहसील चूरू के बीच ख.नं. 88 मौके पर पक्की डामर की सड़क है जो दुधवाखारा से ढ़ाणी रणवां, लालासर, गिनड़ी पट्टा राजपुरा इन्द्रपुरा होते हुवे रोही भैरूसर में चूरू से तारानगर हाईवे पर मिलती है तथा अप्रार्थी सोहनलाल की कृषि भूमि ख.नं. 506/74 आबादी से पास ही जो गांव से करीब 200 मीटर दूरी पर है तथा प्रार्थी धर्मपाल की कृषि भूमि खेत ख.नं. 507/74 तादादी 3.5473 हैक्ट. रोही मौजा गिनड़ी पट्टा राजपुरा तहसील चूरू अप्रार्थी सोहनलाल के खेत ख.नं. 506/74 के दक्षिणी तरफ चिपता ही है प्रार्थी के खेत ख.नं. 507/74 व अप्रार्थी सोहनलाल के खेत ख.नं. 506/74 आपस में सींव एक ही है प्रार्थी के खेत का प्रचलित सदामत का रास्ता में से फट कर अप्रार्थी सोहनलाल की पश्चिमी सींव सींव जाता है। इसी रास्ते से प्रार्थी अपने खेत में प्रवेश करता है इस रास्ते बाबत अप्रार्थी सोहनलाल ने प्रार्थी को कभी नहीं रोका। इस प्रचलित रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थी करता आया है और इसी रास्ते से ट्रेक्टर ले जाकर प्रार्थी ने इस वर्ष काश्त की है अप्रार्थी सोहनलाल के खेत ख.नं. 506/74 के बीच में से जाने वाले रास्ता आगे निकट परिवार के अन्य खातेदार ख.नं. 472/74, 473/74, 474/74 के मालिक उपयोग उपभोग में लेते चले आ रहे है प्रार्थीने बेईमानी पूर्वक यह प्रार्थना–पत्र गलत आधार लेकर काल्पनिक रूप से गलत पेश किया है जो काबिले खारिज है सही हकीकत यह है कि अप्रार्थी सोहनलाल के खेत ख.नं. 506/74 व ख.नं. 95 के बीच ख.नं. 88 पर मौके पर पक्की सड़क है प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र में सड़क का तथ्य छुपाया है तथा संलग्न एनेक्जर ए में सड़क छुपाई गई है प्रार्थी क्लीन हैण्ड्स से प्रार्थना–पत्र पेश नहीं किया है इस कारण प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य है। प्रार्थी ने न्यायालय में यह प्रार्थना–पत्र इस कारण पेश किया है कि प्रार्थी की भूमि सड़क से आबादी निकट जुड़ जावे ताकि प्रार्थी अपनी कृषि भूमि की आवासीय कॉलोनी काट कर ऊंचे दामों में बेच सके जबकि प्रार्थी के रास्ता के कोई दिक्कत ही नहीं है धारा 251 ए के प्रार्थना–पत्र के माध्यम से अप्रार्थी सोहनलाल सड़क की [illegible] कर नुकसान पहुंचाना चाहता है। सड़क के तथ्य को छुपा कर [illegible] की कोशिश की जा रही है। फिर भी न्यायालय रास्ता दिलवा[illegible] सोहनलाल के खेत में से प्रार्थी के रास्ते में जाने वाली कृषि [illegible] ही कृषि भूमि प्रार्थी के खेत में से अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:49 IST
Reason: SelfAttested

सोहनलाल को कृषि दिलवाई जावे। बदले की कृषि भूमि को माप गणना करते वक्त अप्रार्थी सोहनलाल की कृषि भूमि सड़क पर तथा आबादी के निकट होने के तथ्य तथा प्रार्थी की भूमि सड़क पर नहीं होने का ध्यान रखा जावे। अप्रार्थी सोहनलाल रास्ते में जाने वाली कृषि भूमि की एवज राशि लेने में कतई सहमत नहीं है क्योंकि अप्रार्थी सोहनलाल की भूमि सड़क व आबादी के निकट होने से डी.एल.सी. दर से 100 गुना महंगी है। प्रार्थी ने रास्ते की लम्बाई 215 फीट लिखी है जबकि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सोहनलाल की भूमि में से मांगे गये रास्ते की लम्बाई 251 फीट मौके पर है। अतः जवाब प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि तथ्य छुपा कर पेश किये गये प्रार्थना—पत्र को मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

8. दौराने ए बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना—पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तहसीलदार चूरू से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार रास्ता कटानी कर राजस्व अभिलेख में दर्ज करने का निवेदन किया है। अप्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस रास्ता पूर्व से दिया हुआ है। भूमि आबादी के नजदीक है। अप्रार्थी सोहनलाल की भूमि सड़क व आबादी के निकट होने से डी.एल.सी. दर से 100 गुना महंगी है। प्रार्थी ने रास्ते की लम्बाई 215 फीट लिखी है जबकि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सोहनलाल की भूमि में से मांगे गये रास्ते की लम्बाई 251 फीट मौके पर है। अतः जवाब प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि तथ्य छुपा कर पेश किये गये प्रार्थना—पत्र को मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

9. मैंने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र, अप्रार्थी संख्या—1 का जवाब, तहसीलदार चूरू से प्राप्त जांच रिपोर्ट, अभिलेखीय दस्तावेज तथा दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 507/74 रोही मौजा गिनड़ी पट्टा राजपुरा में आवागमन हेतु रास्ता नहीं होने का कथन करते हुए धारा 251—A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अंतर्गत रास्ता कटवाने की प्रार्थना की है। तहसीलदार चूरू द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट से यह तथ्य सामने आता है कि खसरा संख्या 88 पर पक्की सड़क विद्यमान है तथा बंटवारे में मौके पर चालू रास्ते से पश्चिम सींव के चिपते रास्ता दिया गया था रिपोर्ट में यह भी उल्लेखित है कि पूर्व में उपयोग किया गया रास्ता मौजूद रहा है, यद्यपि वर्तमान में उसके स्पष्ट निशान नहीं पाए गए। धारा 251—A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का उद्देश्य केवल उस स्थिति में रास्ता उपलब्ध कराना है जब खातेदार की भूमि तक पहुंचने का कोई अन्य उचित एवं व्यवहारिक साधन उपलब्ध न हो। यह प्रावधान किसी खातेदार को अधिक सुविधाजनक या आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद रास्ता प्रदान करने के लिए नहीं है। वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उसकी भूमि तक पहुंचने का कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। इसके विपरीत, अभिलेख पर उपलब्ध जांच रिपोर्ट एवं विभाजन अभिलेख यह दर्शाते हैं कि आवागमन का मार्ग पूर्व से विद्यमान रहा है। केवल अधिक सुविधाजनक अथवा सड़क से सीधा संपर्क प्राप्त करने की इच्छा धारा 251—A के अंतर्गत रास्ता प्रदान करने का पर्याप्त आधार नहीं हो सकती। यह भी विधि का स्थापित सिद्धांत है कि धारा 251—A के अंतर्गत रास्ता प्रदान करते समय न्यूनतम हानि के सिद्धांत को ध्यान में रखा जाना चाहिए, तथा बिना आवश्यक कारण किसी अन्य खातेदार की भूमि में नया रास्ता कायम करना उचित नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में ऐसी अनिवार्यता सिद्ध नहीं हुई है। अतः उपलब्ध साक्ष्यों, जांच रिपोर्ट, राजस्व अभिलेख एवं प्रकरण के समस्त तथ्यों के परीक्षण के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:49 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 251–। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दफ्तर दाखिल की जाए।

उक्त निर्णय आज 02.02.2026 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:49 IST
Reason: SelfAttested